न्यायालय जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 63 /प्रा0पत्र/18

सरकार जर्ये पुलिस थाना झालरापाटन
बनाम
राजेश कुमार सुमन आ0 रामचन्द्र नि0 गिन्दोर थाना झालरापाटन

प्र0सूचना क्रमांक 86/2018 थाना झालरापाटन
अपराध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

प्रा0पत्र धारा 451 द0प्र0संहिता व 6 अ आवश्यक वस्तु अधिनियम

15/6/18

प्रा0पत्र जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया । प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रा0पत्र में प्रार्थी द्वारा अनुरोध किया गया है कि पुलिस थाना झालरापाटन द्वारा प्रथम सूचना क्रमांक 86/2018 थाना पिड़ावा अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम पर पंजीबद्ध केस में प्रार्थी की मारूती वाहन रजिस्ट्रेशन न0 आरजे 33 यूए 1103 को जब्त किया हुआ है। जब्त वाहन का प्रार्थी रजिस्टर्ड स्वामी है। वाहन जप्त रहने से देखभाल, संभाल न होने से वाहन खराब हो जायेगा आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। जब्त वाहन की पुलिस को आवश्यकता नही रही है । वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने में कानूनी बाधा या रूकावट नही है। प्रकरण में जप्त वाहन को सुपुर्दगी में दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 451 Crpc के तहत वाहन आरजे 33 यूए 1103 की सुपुर्दगी बाबत न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। वाहन 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत थाना झालरापाटन में दर्ज प्राथमिकी 86/18 के परिणाम स्वरूप जब्त है। इस प्रकार धारा 451 Crpc के तहत उक्त प्रा0पत्र न्यायालय हाजा में पेण्डिंग नही है । धारा 451 Crpc Disposal of property pending trail cases में क्रिमिनल कोर्ट को ही अधिकार हैं। इसी क्रम में प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 451 द0प्र0सं0 माननीय न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,झालरापाटन के समक्ष प्रस्तुत किया जाने पर माननीय न्यायालय ने आदेश दिनांक 23.05.2018 में जप्तशुदा वाहन की अनुंसधांन में आवश्यकता व इस संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है कि प्रार्थी जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी पर छोडे जाने पर ऐसे ही अपराध में पुनः प्रयुक्त करेगा। ऐसी स्थिति में इस मामले में उक्त जप्तशुदा वाहन की सुपुर्दगी के निस्तारण के संबन्ध में प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के समय ही विचार किया जाना अपेक्षित अंकन करते हुए प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज किया गया । उपरोक्त विवेचन से इस प्रा0पत्र के माध्यम से प्रार्थी को किसी तरह का अनुतोष प्रदान नही किया जा सकता अतः प्रा0पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। प्रा0पत्र बाद दर्ज रजिस्टर फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

जिला कलक्टर
झालावाड़